374/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/1787-1812/2015-पीएमआर

दिनांकः 09/02/2015

कार्यालय ज्ञापन

डायरी संख्या 1063 RTI Sec./2015 दिनांक/Date 17/02

2830/FS/15 12/02/15

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रमेशचंद्र जोशी से प्राप्त दिनांक 29.1.2015 का आवेदन-पत्र(400/15 -424 और 395)(26 पत्र), जो इस कार्यालय में दिनांक 4.2.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी०के० शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रमेशचंद्र जोशी
विष्णुधाम मंदिर
साईधाम मंदिर, ठाकुर कामप्लेक्स
वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, कांदिवली(पूर्व)
मंबई - 400 101

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

- DCP(C)
- US(China)
- US(ERS)

US(RTI) 13/2

R

16/2

1803 — 6/2/2015

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत सूचना पाने के लिए आवेदन पत्र क्रमांक 409 /२०१५ दिनांक 29.1.15

18/3/15

सेवा में,
मा. केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी,
मा.प्रधानमंत्री महोदय का कार्यालय,
१५२, साऊथ ब्लॉक, रायसिन्हा हिल्स,
नई दिल्ली - ११००११

- 4 FEB 2015

१)	आवेदक का पूरा नाम	:	**श्री रमेशचंद्र जोशी** **अध्यक्ष , धर्म रक्षक महामंच** **अध्यक्ष, राष्ट्र रक्षक जनमंच**
२)	पत्ता	:	श्री विष्णूधाम मंदिर, ठाकूर कॉम्पलेक्स, साईधाम रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४०० १०१
३)	अपेक्षित सूचना का विवरण	:	मा. प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमें भेजा पत्र सख्या आरटीआई/ १०२८२/ २०१४/ पीएमआर दि.२३/१/२०१४ लेकिन हमें मुंबई में दिनाक ३०/०१/२०१५ को मिले पत्र के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने दिनांक १२/०४/२०११ से दिनांक १६/०४/२०११ तक China and Kazakhstan का दौरा क्यूं किया था ? दौरे में उनके साथ और कौन-कौन शामील थे ? इस दौरे के कारण भारत को क्या फायदा हुआ था? और इस दौरे के कारण भारत सरकार ने जो रुपए १२,३५,९९,०००.०० चुकाए है, वह रुपए किस-किस को चुकाया है ? और कौनसे स्वरुप में चुकाए है ? इससे संबंधित सुचना यदि भारत सरकार के पास हो, तो कृपया यह सभी सुचना हमें हिंदी भाषा में भेजने की कृपा करें ।
क)	संबध विभाग	:	इस आवेदन पत्र के द्वारा हमने जो सूचना माँगी है वह सूचना जिस किसी भी विभाग में हो वह विभाग
(i)	अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण	:	उपरोक्त क्रमांक ३ के अनुसार
(ii)	अवधि जिसके लिये सुचना अपेक्षित है	:	उपलब्ध अभिलेख के अनुसार
(iii)	अन्य विवरण	:	हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण भारतीय संविधान के अनुसार कृपया हमसे केवल राष्ट्रीय हिंदी भाषा में पत्राचार करने की कृपा करें। एवंम् पत्राचार में हमारे आवेदन का उपरोक्त क्रमांक एवंम् दिनांक का उल्लेख जरुर करने की कृपा करें।
४	मै कथन करता हूँ कि अपेक्षित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ८ के आधीन प्रकटीत कीये जाने से प्रतिबन्धित नही है और मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। यह आवेदन पत्र के साथ नियमो के अनुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजे है। यह आवेदन पत्र हमने आपको मुंबई से स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा है। हमारा मोबाईल नंबर - 09870019990, 09821424410, 09987523450		

URGENT
Diary 28178
& Date 04/02/15
Last Date For Disp. 07/03/15

IPO No- 10F 845251 Rs 10/-
4138325

भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 51 A. (A To K) के अनुसार भारत का नागरिक के नाते हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्योंकि यही हमारा धर्म है

(रमेशचंद्र जोशी)
आवेदक

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

<u>सूचना का अधिकार मामला</u>

<u>समयबद्ध</u>

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
(चीन प्रभाग)

सं. ई/551/10/2015-आरटीआई

16.03.2015

सेवा में

श्री रमेशचन्द्र जोशी
विष्णुधाम मंदिर
साईधाम मंदिर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पूर्व)
मुंबई - 400 101

विषयः सूचना का अधिनियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित दिनांक 29.1.2015 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे 07.02.2015 को आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चीन के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार हैः-

वो जानकारी संकलित करके इस पत्र के साथ जोड़ दी गयी है

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नही है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली – 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

Aniket G. Mandavgane

(अनिकेत गोविंद मांडवगणे), आईएफएस
अवर-सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

चीन और कजाकिस्तान की यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य

अप्रैल 12, 2011

आज मैं चीन और कजाकिस्तान की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।

चीन के सान्या में मैं ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लूंगा जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति हू जिन्ताओ द्वारा की जा रही है। वर्ष 2009 में आयोजित प्रथम एकल बैठक के बाद से यह ब्रिक्स समूह की तीसरी शिखर बैठक है। इस बैठक में पहली बार दक्षिण अफ्रीका भी भाग ले रहा है। भारत ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता का स्वागत करता है जिससे हमारे विचार-विमर्शों को अफ्रीकी संदर्श भी उपलब्ध हो सकेगा।

मुझे विश्व अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय सुधार की प्रक्रिया को कायम रखने में ब्रिक्स के योगदान पर ब्रिक्स नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करने की प्रतीक्षा है। आर्थिक प्रगति के पारम्परिक स्रोत अभी भी दबाव में हैं और विश्व के विभिन्न भागों में हुए हाल के घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप कतिपय नई अनिश्चितताएं भी उभर आई हैं। यदि हम सतत विकास, संतुलित प्रगति, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार और संतुलित व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी-अपनी स्थितियों का समन्वय कर पाएं, तो इससे हम सबको लाभ होगा।

आज ब्रिक्स के सभी देश जी-20 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। इन सभी मंचों पर एक दूसरे के साथ कार्य करने का हमारा अनुभव सकारात्मक रहा है और इसमें अपार संभावनाएं निहित हैं। इससे सान्या शिखर बैठक को विशेष महत्व मिलता है जिसकी विषयवस्तु है 'व्यापक विजन और साझी समृद्धि।'

सान्या में अपने प्रवास के दौरान मुझे राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ भी मुलाकात करने की प्रतीक्षा है। भारत-चीन संबंध एक महत्वपूर्ण संबंध है, जो अब वैश्विक महत्व का हो गया है। रूस, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों के साथ भी मेरी द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इन देशों के साथ हमारे संबंध अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण और ठोस हैं।

चीन से मैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नजरबायेव के निमंत्रण पर द्विपक्षीय यात्रा पर कजाकिस्तान जाऊंगा। यह कजाकिस्तान की मेरी पहली यात्रा होगी। कजाकिस्तान एक ऐसे क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है जिसकी भारत के संबंध में विशेष सहानुभूति और सद्भावना रही है। मैं वर्ष 2009 में राष्ट्रपति नजरवायेव की भारत की सफल यात्रा से लाभ उठाना चाहूंगा और इस महान देश के साथ अपने सहयोग की सीमाओं का विस्तार करना चाहूंगा।

राजनैतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, भेषज, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। मेरी यह यात्रा मध्य एशिया में भारत की स्थाई रुचि का संकेत है, जिसकी जड़ें इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में हैं।

नई दिल्ली
12 अप्रैल, 2011

चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ प्रधान मंत्री जी की बैठकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की प्रेस वार्ता

अप्रैल 13, 2011

सरकारी प्रवक्ता (विष्णु प्रकाश): नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जैसाकि आप सब जानते हैं। भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सान्या आए हुए हैं। आज प्रधान मंत्री जी की दो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें हुईं। पहली बैठक राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ तथा दूसरी बैठक रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री मेदवेदेव के साथ हुई।

प्रधान मंत्री जी की बैठकों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन यहां उपस्थित हैं।

मैं आप सबका परिचय बीजिंग में भारत के राजदूत डा. एस. जयशंकर से कराना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दाईं ओर बैठे हैं। उनके दाईं ओर श्री गौतम बम्बावाले, संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया) हैं। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महोदय से उद्घाटन संबोधन देने का अनुरोध करता हूँ और तदुपरांत उन्हें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (शिवशंकर मेनन): धन्यवाद।

जैसाकि संयुक्त सचिव (एक्सपी) ने आप सबको बताया, प्रधान मंत्री जी ने आज शाम में राष्ट्रपति हू जिन्ताओ से मुलाकात की जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति श्री मेदवेदेव के साथ उनकी बैठक हुई।

मैं सिर्फ मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा और इसके बाद यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, तो उनका उत्तर दूंगा।

राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ उनकी बैठक लगभग 50 मिनट चली। यह अत्यंत ही उपयोगी, सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बैठक थी जिसमें द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई। स्वाभाविक है कि कल से आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में संक्षिप्त बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की सतत प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

वे इन संबंधों का और विकास देखना चाहते हैं। उन्होंने वर्ष 2011 में भारत-चीन आदान-प्रदान वर्ष का औपचारिक शुभारंभ किया जिसके तहत अनेक आदान-प्रदान किए जाएंगे। इसमें वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं की यात्राएं; सामरिक आर्थिक संवाद का आयोजन, जिसके यथासंभव शीघ्र होने की आशा है; द्विपक्षीय आधिकारिक परामर्श; रक्षा आदान-प्रदान तथा लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क शामिल हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों तथा व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की और विश्वास व्यक्त किया कि हम पिछले वर्ष निर्धारित वर्ष 2015 तक कुल दोतरफा व्यापार को 100 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर हैं।

उन्होंने सीमा संबंधी मुद्दों पर परामर्श और समन्वय बनाने के लिए कार्यकारी तंत्र की स्थापना के संबंध में सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की। यह तंत्र शांति और अमन-चैन बनाए रखने से संबंधित महत्वपूर्ण सीमा मामलों को देखेगा। आपको स्मरण होगा कि इस विचार का सुझाव पिछले दिसंबर में प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ की यात्रा के दौरान दिया गया था और हमने इस पर कार्य किया है तथा सिद्धांत रूप में सहमति पर पहुंचे हैं। यह तंत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग करने की संभावनाओं का भी पता लगाएगा।

जहां तक आर्थिक पक्ष का संबंध है, उन्होंने वस्तुत: विशेष प्रतिनिधियों को सीमा प्रश्न का समाधान करने की दिशा में कार्य जारी रखने का अनुदेश दिया। चूंकि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आर्थिक सम्पूरकताओं का विकास करने के लिए एक प्रारूप उपलब्ध कराता है इसलिए द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रधान मंत्री जी ने विशेष रूप से दोतरफा निवेशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को उच्चस्तर तक ले जाने की बात कही और चीन द्वारा विशेष कर आईटी, भेषज, कृषि उत्पाद तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र के भारतीय निर्यातों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बात की।

अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक स्थिति तथा पारस्परिक हित के कुछ मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुझे विश्वास है कि इस पर कल ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आगे चर्चा होगी। प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति हू जिन्ताओ को भारत आने का न्यौता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि वे पारस्परिक से सुविधाजनक समय में भारत आएंगे। राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने भी प्रधान मंत्री जी को चीन आने का निमंत्रण दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ बैठक का सारांश वस्तुत: इतना ही है।

राष्ट्रपति मेदवेदेव के साथ हुई बैठक में भी द्विपक्षीय और सामरिक संबंधों की समीक्षा की गई जिसे प्रधान मंत्री जी ने विलक्षण कहा, क्योंकि

दोनों देशों के संबंध दीर्घावधिक तथा गुणवत्ता आधारित रहे हैं। दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में विशेषकर पिछले दिसंबर माह में राष्ट्रपति मेदवेदेव की भारत यात्रा के बाद से संबंधों में हुए विकास पर संतोष व्यक्त किया है। इस यात्रा के दौरान संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अनेक निर्णय लिए गए थे जिनका कार्यान्वयन किया गया है। उन्होंने संबंधों की व्यापकता पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दीर्घावधिक समेकित सहयोगी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और संबंधों के सभी क्षेत्रों पर बातचीत हुई। जापान में हुए हाल के घटनाक्रमों की अनुक्रिया स्वरूप परमाणु सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई क्योंकि भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग के क्षेत्र में एक सक्रिय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

दोनों नेताओं ने परमाणु सुरक्षा तथा मानकों की पुन: जांच करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा की और जानना चाहा कि दोनों देशों में विद्यमान आंतरिक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त फुकूशीमा जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्या कुछ किया जा सकता है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने संबंधों को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष इस तथ्य के प्रति आश्वस्त हैं कि परमाणु उर्जा का अभी भी कोई ठोस विकल्प नहीं है, बशर्ते कि इसकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। जैसाकि आप जानते हैं, हमने राष्ट्रपति मेदवेदेव की भारत यात्रा के दौरान एक अंतर्सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए थे। हमने इसे आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर बात की। समग्र रूप में देखा जाए, तो न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति तथा सामरिक सहयोग की स्थिति अपितु इसे गहन बनाने तथा नए क्षेत्रों में विस्तार करने के तौर तरीकों पर भी संतोष व्यक्त किया गया।

पश्चिम अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका की स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और ऊर्जा सुरक्षा पर भविष्य में इसके कारण पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा हुई। जैसाकि मैंने बताया, यह चर्चा कल भी जारी रहेगी

जब विभिन्न नेता ब्रिक्स बैठक के दौरान मिलेंगे क्योंकि यह मुद्दा हम सबसे संबंधित है। मैं समझता हूँ कि यह चर्चा जारी रहेगी।

यहां मैं रुकना चाहूंगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, तो पूछ सकते हैं।

प्रश्न: मेनन साहब, क्या स्टेपल्ड वीजा को लेकर कोई बातचीत हुई जिसके संबंध में आप काफी चिन्तित रहे हैं?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: स्टेपल्ड वीजा पर तो काम चल ही रहा है। उस पर जो हो रहा है, आप जानते हैं। उसका जिक्र नहीं हुआ है।

प्रश्न: महोदय, आपने जो कहा, उससे ऐसा लगता है कि रक्षा आदान-प्रदानों को बहाल करने पर सिद्धांत रूप में सहमति हो गई है क्योंकि चीन द्वारा सेना के एक वरिष्ठ कमांडर को वीजा से इनकार करने के कारण रक्षा संबंधों को स्थगित कर दिया गया था?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने रक्षा आदान-प्रदानों को कभी स्थगित नहीं किया था; हमने रक्षा आदान-प्रदान हमेशा जारी रखे। उदाहरण के लिए हमारे कमांडरों की बैठकों, ध्वज बैठकों, सीमावर्ती कमंडरों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता रहा है।

हमने दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में संचार व्यवस्था भी कायम रखी। परन्तु इन आदान-प्रदानों के बारे में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई चर्चाओं के उपरान्त इस बात पर सहमति हुई है कि इस वर्ष बाद में भारतीय थल सेना का एक बहु-कमान प्रतिनिधिमंडल चीन जाएगा। इसके साथ ही हम इस वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में अन्य आदान-प्रदानों और यात्राओं पर भी चर्चा कर रहे हैं।

प्रश्न: क्या प्रधान मंत्री जी की बैठक में व्यापार असंतुलन का मुद्दा भी उठाया गया?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी हां।

प्रश्न: इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: चीनी पक्ष ने कहा कि वे इसे अत्यंत ही गंभीर मानते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूर्व में भी सर्वोच्च स्तर सहित अन्य स्तरों पर दोनों सरकारों के बीच चर्चा की जाती रही है। इसके अतिरिक्त भारत से चीन में आयातों में वृद्धि करने के लिए अनेक उपायों पर सहमति व्यक्त की गई है और इस मुद्दे का समाधान करने के नए तौर तरीकों की भी पहचान हुई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सामरिक आर्थिक संवाद में भी चर्चा होगी जिसकी स्थापना शीघ्र करने पर सहमति व्यक्त की गई है। मैं समझता हूँ कि इस वर्ष के पहले कुछ महीनों के दौरान अनेक कदम उठाए गए हैं।

यही कारण है कि चीन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में भारत को किए जाने वाले चीनी निर्यात से अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हुई है परन्तु चीन को किए जाने वाले भारतीय निर्यातों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जानकारी दोनों पक्षों को है। इस समस्या से दोनों ही पक्ष चिन्तित हैं और दोनों पक्ष इसका मिलकर समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्न: क्या प्रधान मंत्री जी ने व्यापार असंतुलन से जुड़े मुद्दे को राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ प्रत्यक्ष रूप से उठाया?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी हां।

प्रश्न: प्रधान मंत्री जी ने भेषज, आईटी और सांस्कृतिक निर्यातों के बारे में क्या कहा और इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने इन क्षेत्रों का उल्लेख इसलिए किया है कि यदि इन मदों के लिए बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जाए और किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, तो इससे व्यापार असंतुलन में निश्चित रूप से कमी लाने में मदद मिलेगी। वस्तुत: चीनी पक्ष से राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने भी कहा कि इस मुद्दे के कारण वे भी चिन्तित हैं और उन्हें भी इसका समाधान प्राप्त करने की प्रतीक्षा है।

प्रश्न: क्या सीमा मुद्दे से संबद्ध कार्यकारी तंत्र के बारे में हमें कुछ स्पष्ट बातें बताएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: सिद्धांत रूप में यही सहमति हुई है कि आधिकारिक स्तर पर एक ऐसा तंत्र बनाया जाएगा, जिसके जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन-चैन कायम रखने के संबंध में परामर्श और समन्वय किया जाएगा। यदि कोई अन्य मुद्दा है, तो इसमें भी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इस तंत्र के जरिए 1993 और 1996 में संपन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन कायम रखने से संबंधित करार तथा सीवीएम करारों का भी कार्यान्वयन किया जाएगा। अत: इसे हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन कायम रखने की दिशा में एक उपयोगी तंत्र के रूप में देखते हैं। मैंने पहले भी बताया कि यह कार्य किया जा रहा है। भारत-चीन सीमा विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमाओं में से एक है।

प्रश्न: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जैसाकि मैंने बताया, हम काफी लम्बे समय से इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं और बीच में सिद्धांत रूप में सहमति है। अब हमें इसे वास्तविक व्यापक करार की स्थिति में लाना होगा।

प्रश्न: महोदय, मैं एसडीआर के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आर्थिक क्षेत्रों में चर्चा थी कि कुछ देश चीनी मुद्रा को एसडीआर में शामिल किए जाने पर जोर दे रहे हैं। क्या यह मुद्दा भी उठाया गया और इस पर भारत का क्या नजरिया था?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं आशा कर रहा हूँ कि इस प्रकार के मुद्दों पर शायद कल चर्चा होगी। यह बैठक मुख्य तौर पर द्विपक्षीय बैठक थी। वे इस पर भी बात करेंगे।

प्रश्न: महोदय, क्या आप बताएंगे कि सीमा से संबंधित इस तंत्र की स्थापना की क्या आवश्यकता पड़ी और सीमा पर इस प्रकार के सहयोग का क्या अर्थ है? पहले से ही हमारे बीच दो संधियां मौजूद हैं जिनमें आवाजाही, अभियानों इत्यादि को परिभाषित किया गया है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं समझता हूँ कि इस सहयोग में और भी बातें शामिल हैं। इसमें हमारे बीच होने वाला सीमावर्ती व्यापार, सीमा पर डाक का आदान-प्रदान तथा सीमा पर लोगों की आवाजाही शामिल है। सीमा संबंधी सहयोग में कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। इन मुद्दों के समाधान हेतु हम आधिकारिक स्तर पर मिलकर कार्य करेंगे और देखेंगे कि इसकी संभावनाएं क्या हैं? इसका एक भाग शांति और अमन-चैन और दूसरा भाग उपर्युक्त बातें हैं।

प्रश्न: जहां तक रूसी पक्ष का संबंध है, पिछली बार जब श्री मेदवेदेव भारत आए थे, तो रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य करने के संबंध में एक करार संपन्न किया गया था। क्या इस प्रकार की समीक्षा से यह विषय पृष्ठभूमि में चला गया है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: यह प्रक्रिया जारी है और हम इस कार्य को जारी रखना चाहते हैं। यदि इसे और स्पष्ट किया जाए, तो हमारे बीच कतिपय करार विद्यमान हैं, जिन्हें संपूरित किया जा रहा है।

हम लोग इस पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि इसमें सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करने की आवश्यकता है या नहीं। यह कार्य हम मिलकर करेंगे। परन्तु दीर्घकाल के लिए हमने जो सहमति व्यक्त की है और पिछले वर्ष हमने जिस रोडमैप पर सहमति व्यक्त की थी, उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: क्या रक्षा आदान-प्रदान में थल सेनाओं और नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभियानों का आयोजन करना भी शामिल है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: निश्चित रूप से। हमने ऐसा पूर्व में भी किया है और शायद भविष्य में भी करेंगे।

प्रश्न: अत: भविष्य में संयुक्त नौसैनिक एवं सैन्य अभ्यास किए जाएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: आने वाले समय में हम इस पर कार्य करेंगे और इसके ब्यौरे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

प्रश्न: क्या चीनी पक्ष ने सुरक्षा मुद्दों पर किसी प्रकार की चिन्ता व्यक्त की क्योंकि भारत में चीन का निवेश लगातार बढ़ रहा है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी नहीं।

प्रश्न: महोदय, यह तंत्र संयुक्त परामर्शी समिति की तरह होगा या इससे मिलता-जुलता कुछ और?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यकारी तंत्र। जैसाकि मैंने बताया, अभी सिद्धांत रूप में सहमति हुई है। ठोस सहमत होने पर हम आपको इसके ब्यौरे देंगे।

प्रश्न: क्य आप सखालिन-3 सहित रूस के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग के बारे में और कुछ बातें बताएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: इनमें से अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस स्तर पर ब्यौरे तय नहीं किए जाते हैं।

इस प्रकार के सहयोग को जारी रखने और विस्तारित करने में हमारी और रूस की रुचि को प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में पहले भी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और अन्य कंपनियों द्वारा चर्चा की जाती रही है। इसलिए वे इस प्रकार की चर्चा को जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सखालिन-1, जिसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, के साथ ही इस उच्चस्तरीय हित को विस्तारित और गहन बनाने में सहयोग किया जाता रहा है।

प्रश्न: क्या आप वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं की यात्राओं के बारे में कुछ ब्यौरा दे सकते हैं? कुछ राजनैतिक नेता वहां जा रहे हैं। कुछ राजनैतिक पार्टियों के नेताओं के भी दौरे हुए हैं। क्या इस संबंध में कोई संस्थागत तंत्र है? क्या आप इसका ब्यौरा दे सकते हैं?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान है। हमारे बीच एक प्रकार की समझबूझ बनी हुई कि हम उच्चस्तरीय यात्राओं एवं आदान-प्रदानों की गतिशीलता को कायम रखेंगे। ऐसा सिर्फ इसी वर्ष नहीं होगा क्योंकि यह भारत-चीन आदान-प्रदान वर्ष है। मैं समझता हूँ कि दो से तीन उच्चस्तरीय यात्राएं होंगी और भविष्य में भी हम यात्राओं की इस गतिशीलता को कायम रखना चाहते हैं।

प्रश्न: महोदय, क्या विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के अगले दौर की तिथियां निर्धारित हो गई हैं?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी नहीं। अभी तक तारीखों का निर्धारण नहीं हुआ है।

प्रश्न: क्या शीघ्र ही इन बैठकों की संभावना है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: तारीखें तय नहीं की गई हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि शीघ्र होंगी।

प्रश्न: शायद इस बार बीजिंग जाएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं समझता हूँ कि इस बार उनकी बारी है।

सरकारी प्रवक्ता: धन्यवाद। महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...।

(समाप्त)

सान्या (चीन)
13 अप्रैल, 2011

प्रश्न: क्या प्रधान मंत्री जी ने व्यापार असंतुलन से जुड़े मुद्दे को राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ प्रत्यक्ष रूप से उठाया?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी हां।

प्रश्न: प्रधान मंत्री जी ने भेषज, आईटी और सांस्कृतिक निर्यातों के बारे में क्या कहा और इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने इन क्षेत्रों का उल्लेख इसलिए किया है कि यदि इन मदों के लिए बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जाए और किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, तो इससे व्यापार असंतुलन में निश्चित रूप से कमी लाने में मदद मिलेगी। वस्तुत: चीनी पक्ष से राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने भी कहा कि इस मुद्दे के कारण वे भी चिन्तित हैं और उन्हें भी इसका समाधान प्राप्त करने की प्रतीक्षा है।

प्रश्न: क्या सीमा मुद्दे से संबद्ध कार्यकारी तंत्र के बारे में हमें कुछ स्पष्ट बातें बताएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: सिद्धांत रूप में यही सहमति हुई है कि आधिकारिक स्तर पर एक ऐसा तंत्र बनाया जाएगा, जिसके जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन-चैन कायम रखने के संबंध में परामर्श और समन्वय किया जाएगा। यदि कोई अन्य मुद्दा है, तो इसमें भी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इस तंत्र के जरिए 1993 और 1996 में संपन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन कायम रखने से संबंधित करार तथा सीवीएम करारों का भी कार्यान्वयन किया जाएगा। अत: इसे हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन कायम रखने की दिशा में एक उपयोगी तंत्र के रूप में देखते हैं। मैंने पहले भी बताया कि यह कार्य किया जा रहा है। भारत-चीन सीमा विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमाओं में से एक है।

प्रश्न: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जैसाकि मैंने बताया, हम काफी लम्बे समय से इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं और बीच में सिद्धांत रूप में सहमति है। अब हमें इसे वास्तविक व्यापक करार की स्थिति में लाना होगा।

प्रश्न: महोदय, मैं एसडीआर के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आर्थिक क्षेत्रों में चर्चा थी कि कुछ देश चीनी मुद्रा को एसडीआर में शामिल किए जाने पर जोर दे रहे हैं। क्या यह मुद्दा भी उठाया गया और इस पर भारत का क्या नजरिया था?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं आशा कर रहा हूँ कि इस प्रकार के मुद्दों पर शायद कल चर्चा होगी। यह बैठक मुख्य तौर पर द्विपक्षीय बैठक थी। वे इस पर भी बात करेंगे।

प्रश्न: महोदय, क्या आप बताएंगे कि सीमा से संबंधित इस तंत्र की स्थापना की क्या आवश्यकता पड़ी और सीमा पर इस प्रकार के सहयोग का क्या अर्थ है? पहले से ही हमारे बीच दो संधियां मौजूद हैं जिनमें आवाजाही, अभियानों इत्यादि को परिभाषित किया गया है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं समझता हूँ कि इस सहयोग में और भी बातें शामिल हैं। इसमें हमारे बीच होने वाला सीमावर्ती व्यापार, सीमा पर डाक का आदान-प्रदान तथा सीमा पर लोगों की आवाजाही शामिल है। सीमा संबंधी सहयोग में कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। इन मुद्दों के समाधान हेतु हम आधिकारिक स्तर पर मिलकर कार्य करेंगे और देखेंगे कि इसकी संभावनाएं क्या हैं? इसका एक भाग शांति और अमन-चैन और दूसरा भाग उपर्युक्त बातें हैं।

प्रश्न: जहां तक रूसी पक्ष का संबंध है, पिछली बार जब श्री मेदवेदेव भारत आए थे, तो रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य करने के संबंध में एक करार संपन्न किया गया था। क्या इस प्रकार की समीक्षा से यह विषय पृष्ठभूमि में चला गया है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: यह प्रक्रिया जारी है और हम इस कार्य को जारी रखना चाहते हैं। यदि इसे और स्पष्ट किया जाए, तो हमारे बीच कतिपय करार विद्यमान हैं, जिन्हें संपूरित किया जा रहा है।

हम लोग इस पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि इसमें सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करने की आवश्यकता है या नहीं। यह कार्य हम मिलकर करेंगे। परन्तु दीर्घकाल के लिए हमने जो सहमति व्यक्त की है और पिछले वर्ष हमने जिस रोडमैप पर सहमति व्यक्त की थी, उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: क्या रक्षा आदान-प्रदान में थल सेनाओं और नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभियानों का आयोजन करना भी शामिल है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: निश्चित रूप से। हमने ऐसा पूर्व में भी किया है और शायद भविष्य में भी करेंगे।

प्रश्न: अत: भविष्य में संयुक्त नौसैनिक एवं सैन्य अभ्यास किए जाएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: आने वाले समय में हम इस पर कार्य करेंगे और इसके ब्यौरे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

प्रश्न: क्या चीनी पक्ष ने सुरक्षा मुद्दों पर किसी प्रकार की चिन्ता व्यक्त की क्योंकि भारत में चीन का निवेश लगातार बढ़ रहा है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी नहीं।

प्रश्न: महोदय, यह तंत्र संयुक्त परामर्शी समिति की तरह होगा या इससे मिलता-जुलता कुछ और?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यकारी तंत्र। जैसाकि मैंने बताया, अभी सिद्धांत रूप में सहमति हुई है। ठोस सहमत होने पर हम आपको इसके ब्यौरे देंगे।

प्रश्न: क्य आप सखालिन-3 सहित रूस के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग के बारे में और कुछ बातें बताएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: इनमें से अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस स्तर पर ब्यौरे तय नहीं किए जाते हैं।

इस प्रकार के सहयोग को जारी रखने और विस्तारित करने में हमारी और रूस की रुचि को प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में पहले भी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और अन्य कंपनियों द्वारा चर्चा की जाती रही है। इसलिए वे इस प्रकार की चर्चा को जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सखालिन-1, जिसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, के साथ ही इस उच्चस्तरीय हित को विस्तारित और गहन बनाने में सहयोग किया जाता रहा है।

प्रश्न: क्या आप वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं की यात्राओं के बारे में कुछ ब्यौरा दे सकते हैं? कुछ राजनैतिक नेता वहां जा रहे हैं। कुछ राजनैतिक पार्टियों के नेताओं के भी दौरे हुए हैं। क्या इस संबंध में कोई संस्थागत तंत्र है? क्या आप इसका ब्यौरा दे सकते हैं?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान है। हमारे बीच एक प्रकार की समझबूझ बनी हुई कि हम उच्चस्तरीय यात्राओं एवं आदान-प्रदानों की गतिशीलता को कायम रखेंगे। ऐसा सिर्फ इसी वर्ष नहीं होगा क्योंकि यह भारत-चीन आदान-प्रदान वर्ष है। मैं समझता हूँ कि दो से तीन उच्चस्तरीय यात्राएं होंगी और भविष्य में भी हम यात्राओं की इस गतिशीलता को कायम रखना चाहते हैं।

प्रश्न: महोदय, क्या विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के अगले दौर की तिथियां निर्धारित हो गई हैं?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: जी नहीं। अभी तक तारीखों का निर्धारण नहीं हुआ है।

प्रश्न: क्या शीघ्र ही इन बैठकों की संभावना है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: तारीखें तय नहीं की गई हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि शीघ्र होंगी।

प्रश्न: शायद इस बार बीजिंग जाएंगे?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार: मैं समझता हूँ कि इस बार उनकी बारी है।

सरकारी प्रवक्ता: धन्यवाद। महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...।

(समाप्त)

सान्या (चीन)
13 अप्रैल, 2011

ब्रिक शिखर सम्मेलन पर सान्या में सचिव (आर्थिक संबंध) की प्रेस वार्ता

अप्रैल 14, 2011

सरकारी प्रवक्ता (श्री विष्णु प्रकाश): आप सबको नमस्कार। आप सबको जानकारी होगी कि आज सुबह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ नेताओं के बीच प्रतिबंधित सत्र के साथ हुआ जिसके पश्चात पूर्ण बैठक हुई। तदुपरान्त एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने सभी नेताओं और अन्य विशिष्ट आमंत्रितों के सम्मान में रात्रिभोज की मेजबानी की। प्रधान मंत्री जी ने पूर्ण सत्र को संबोधित किया और मुझे विश्वास है कि पूर्ण सत्र में प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए संबोधन के पाठ की प्रतियां आपके पास उपलब्ध होंगी। आपके पास संयुक्त प्रेस सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य तथा सान्या घोषणा की प्रतियां भी होंगी।

सचिव (आर्थिक संबंध) ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी के बारे में जानकारी देने के लिए यहां उपस्थित हैं। उनके साथ बीजिंग में हमारे राजदूत डा. एस. जयशंकर भी हैं। मैं सचिव (आर्थिक संबंध) से आरंभिक वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा और तदुपरान्त उन्हें आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी।

सचिव (आर्थिक संबंध) (श्री मनबीर सिंह): धन्यवाद विष्णु। यहां आने के लिए तथा आज सुबह से यहां जो कुछ भी हो रहा है, उसमें इस प्रकार के उत्साह और रुचि का प्रदर्शन करने के लिए आप सबको धन्यवाद। मैंने दिल्ली में भी आपके साथ प्रेस वार्ता की थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की भी प्रेस वार्ता हुई। इस बैठक की एक नियत विषयवस्तु थी और मुख्य तौर पर कार्यसूची में चार मदें थीं। ये मदें थीं: (1) अंतर्राष्ट्रीय स्थिति; (2) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वित्तीय और व्यापार मुद्दे; (3) सतत विकास की चुनौतियां; (4) ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। आज सुबह ब्रिक्स के पाचों नेताओं के फोटो सेशन के उपरान्त सबसे पहले राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने चारों मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त किया। तदुपरान्त उन्होंने अन्य राष्ट्रपतियों और ब्रिक्स देशों के प्रधान मंत्रियों को क्रम से अर्थात ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका को अपना विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया।

वार्ताएं अत्यंत ही मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुईं। यह स्पष्ट था कि सभी वैश्विक मामलों पर विचारों में समानता की झलक मिली। आर्थिक मुद्दों, मौद्रिक, वित्तीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन मुद्दों, जलदस्युता, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार इत्यादि जैसे सभी राजनैतिक मुद्दों और वैश्विक विषयों को वार्ता की कार्यसूची में शामिल किया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि लगभग सभी मुद्दों पर बातचीत हुई और नेताओं की बातचीत से यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनके बीच विचारों में पूर्ण सामंजस्य था।

मैं लगभग शब्द का उपयोग नहीं करना चाहूंगा और मैं पूर्ण सामंजस्य शब्द का उपयोग करूंगा क्योंकि सभी नेताओं के विचारों में समानता थी। इसीलिए मेरा मानना है कि एक समूह के रूप में ब्रिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का विश्व के समक्ष विद्यमान प्रमुख मुद्दों पर लगभग समान विचार है। ब्रिक्स समूह की विचारधारा तथा इसे और आगे बढ़ाने के संबंध में पूर्ण सर्वसम्मति की भावना थी।

आपके पास पूर्ण सत्र में प्रेस के समक्ष पोंचों नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों का पाठ होगा। इसमें अनिवार्य तौर पर बैठक में हुई सभी चर्चाओं को शामिल किया गया है। आपके पास प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य और सान्या घोषणा का पाठ भी होगा। इसमें इन सभी मुद्दों का व्यापक उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं सिर्फ नेताओं द्वारा चर्चा किए गए विषयों का बारी-बारी से उल्लेख करूंगा। बैठक में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग की ठोस इच्छा व्यक्त की गई। मैं समझता हूँ कि यह देशों की साझी इच्छा है क्योंकि सारे ही देश विकासशील देश हैं। विकासशील देशों को अपनी प्रगति और विकास के लिए अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है।

इन सभी नेताओं का विचार था कि सर्वत्र शांति और सुरक्षा तथा विकास और प्रगति हेतु सहयोग का माहौल होना चाहिए। फिलहाल विश्व में जटिल परिवर्तन हो रहे हैं। ब्रिक्स के ये सभी देश उदीयमान ताकतें हैं। इन्हें उदीयमान ताकत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी विकास दर काफी ऊंची है और ये देश विश्व में लम्बे समय से स्थापित आर्थिक ताकतों को प्रगति के मामले में पीछे कर रहे हैं। अत: यह उनके हित में हैं और साथ ही विश्व के हित में भी है कि वैश्विक संस्थाएं विश्व में हो रहे परिवर्तनों प्रतिबिंबित करें। इसलिए सभी देशों ने और भी उपयुक्त एवं न्यायसंगत विश्व की स्थापना की बात कही।

इसके अतरिक्त शांति, सामंजस्य, सहयोग, वैज्ञानिक विकास, आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई क्योंकि ब्रिक्स संवाद और सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। वैश्विक आर्थिक शासन को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र तथा उदीयमान एवं विकासशील देशों की आवाज को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। बैठक में मुख्यत: इन्हीं बातों को शामिल किया गया। ब्रिक के सभी देशों ने

संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका की पुन: पुष्टि की। सभी देशों ने इच्छा जाहिर की कि संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए जिससे कि यह वैश्विक चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बन सके।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित समग्र संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार किए जाने की बात कही। जैसाकि आप सब जानते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट के लिए एक आकांक्षी देश है। हम पहले से ही क्रमवार तरीके से मिलने वाली अस्थाई सीट के सदस्य है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अभी भी संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व की हकीकतों को प्रतिबिंबित करता है, जबकि इसे समसामयिक विश्व की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ब्रिक्स ने इससे पूर्व भी संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा उठाया था, परन्तु इस बार इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर बात की।

मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अमेरिका में व्याप्त अशांति पर भी चिन्ता व्यक्त की गई। आतंकवाद और साइबर अपराध जैसे खतरों का भी उल्लेख किया गया। महसूस किया गया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी-अपनी बृहत आर्थिक नीतियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि वर्ष 2008 में आई मंदी के फलस्वरूप जी-20 अस्तित्व में आया था। इससे पूर्व जी-8 नामक संगठन था जिसमें विशेष आमंत्रितों में अकसर भारत को भी शामिल किया जाता था। परन्तु महसूस किया गया कि विश्व के आर्थिक शासन के हित में बड़ी संख्या में ऐसे देशों को सामने आना चाहिए जिनके पास पर्याप्त आर्थिक ताकत है।

इसी विचार के फलस्वरूप जी-20 अस्तित्व में आया। जी-20 की अनेक बैठकें हुई जिनमें नेताओं ने अपनी-अपनी बृहत आर्थिक नीतियों का समन्वय किया। इस पहल से मंदी से पार पाने में काफी मदद मिली। महसूस किया गया कि हालांकि मंदी समाप्त हो चुकी है परन्तु प्रगति और विकास की प्रक्रिया अभी भी असमान बनी हुई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो चिन्ता के कारण हैं। यूरोप में और भी समेकन लाए जाने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके समक्ष गंभीर राजकोषीय घाटे की चुनौतियां हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति पर अधिक से अधिक चर्चा होनी चाहिए तथा बृहत आर्थिक नीतियों का समन्वय किया जाना चाहिए।

जी-20 देशों के लिए भी पर्याप्त समर्थन व्यक्त किया गया। महसूस किया गया कि 20 देशों का यह समूह अत्यंत अनिवार्य है और इसे सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। ब्रिक्स ने इस प्रक्रिया को अपना समर्थन दिया। नेताओं ने कहा कि जी-20 ही विश्व में आर्थिक शासन का प्रमुख उपकरण होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार लाए जाने की बात भी कही। उन्होंने एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भी बात कही। विशेष निकासी अधिकारों सहित व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की विचारधारा की जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने सीमा पार पूंजी प्रवाहों पर भी चिन्ता व्यक्त की क्योंकि एक देश से दूसरे देश में इसका अंतरण करना बहुत आसान है। इसलिए इसे हॉट मनी कहा जाता है। इसके कारण विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव आता है। अत: कहा जा सकता है कि पूंजीगत प्रवाहों, विदेशी मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे अनेक मुद्दों पर बात की गई। ये सभी बातें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय शासन के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने पण्यों के मूल्यों में आने वाले उतार-चढ़ाव पर भी चिन्ता व्यक्त की। खाद्य तथा ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। इसलिए महसूस किया गया कि यह अच्छे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है इसलिए सभी देशों को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि पण्यों के मूल्य में आने वाले उतार-चढ़ाव को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए।

परमाणु ऊर्जा पर भी चर्चा हुई और सभी नेताओं ने महसूस किया कि परमाणु ऊर्जा अत्यंत अनिवार्य है परन्तु जापान में जो कुछ घटित हुआ, उसे देखते हुए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, किसी ने भी विशेष रूप से जापान का उल्लेख नहीं किया।

परन्तु सभी नेताओं ने वहां हुई जानमाल की हानि पर चिन्ता व्यक्त की। इतना अवश्य है कि परमाणु ऊर्जा के संबंध में हुई चर्चा की पृष्ठभूमि में जापान के घटनाक्रम ही रहे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, यह अनिवार्य है। परन्तु सुरक्षा मानदण्डों को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2011 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और ब्राजील द्वारा वर्ष 2012 में सतत विकास पर सम्मेलन आयोजित किए जाने का समर्थन किया गया। हम भी वर्ष 2012 में जैव सुरक्षा पर जैव विविधता एवं कार्टाजेना प्रोटोकोल से संबद्ध अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। इसका भी उल्लेख किया गया।

सभी राष्ट्रपतियों और प्रधान मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोहा दौर का व्यापक और संतुलित समापन किया जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि विश्व व्यापार के हित में इसे सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभी भी मंदी की प्रवृत्तियां सक्रिय हैं। हमें किसी भी देश द्वारा संरक्षणवादी उपाय किए जाने पर नजर रखनी चाहिए।

तदुपरांत उन्होंने ब्रिक्स के बीच सहयोग की बात की और सभी खुश एवं संतुष्ट थे। मैं संतुष्ट शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा क्योंकि येकातेरिनबर्ग में पहली बार ब्रिक सम्मेलन के आयोजन के साथ इस मंच की अनेक बैठकें हुई हैं और विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया

गया है।

उन्होंने विचारों के आदान-प्रदान तथा सहयोग पर बात की जिसे सान्या घोषणा में जगह भी दी गई है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में ठोस भावनाएं व्यक्त की गईं और महसूस किया गया कि सार्थक गरीबी उन्मूलन तथा लोगों के रहन-सहन तथा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए शोध कार्यों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2012 में ब्रिक्स के अगले शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव रखा और अन्य देशों ने इसका स्वागत किया। सभी देशों ने कहा कि भारत को ऐसा अवश्य करना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया, जिसे मैं आप सबके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की दिशा में सत्ता का स्थानांतरण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह वाक्य वहां की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करता है। यह दुखद स्थिति है परन्तु प्रधान मंत्री जी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि लोग अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करना चाहते हैं और अपना निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं।

आरंभ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यदि आपके पास कुछ प्रश्न हैं, तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी।

प्रश्न: संयुक्त घोषणा में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नामों का उल्लेख किया गया है। घोषणा में कहा गया है कि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र में बृहत्तर भूमिका निभाने संबंधी उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करता है। चूंकि तीनों ही देशों के लिए स्थाई सीट प्राप्त करना व्यावहारिक तौर पर असंभव बात है, इसलिए क्या आपको लगता है कि इससे निकट भविष्य में भारत को स्थाई सदस्यता प्राप्त होने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है?
सचिव (आर्थिक संबंध): आप जानते हैं कि तीनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के आकांक्षी हैं।

इन तीनों को ही क्यों इनके अतिरिक्त अन्य देशों को भी शामिल करना संभव हो सकता है। इसलिए मैं इससे इनकार नहीं करता। मैंने न तो इस प्रकार के कोई दस्तावेज देखें हैं और न ही ऐसे संकेत प्राप्त हुए हैं जिससे इस बात का पता चले कि तीनों देशों को शामिल करना कठिन होगा। मैं समझता हूँ कि तीनों ही देश योग्य हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, जिसे ब्रिक्स में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, का अच्छा प्रभाव है। वहां की राजनैतिक प्रणाली सुदृढ़ है और अफ्रीका की शांति तथा स्थिरता में इसका खासा योगदान है। यह लीबिया और कोट डि आइवर की शांति प्रक्रियाओं में भी भागीदारी करने का प्रयास कर रहा है।

इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते। भारत के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील तीनों ही देश स्थाई सदस्यता के आकांक्षी हैं।

प्रश्न: संयुक्त घोषणा में इस आशय की सहमति व्यक्त की गई है कि ब्रिक्स के सभी देशों की आर्थिक नीतियों का समन्वय किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जी-20 के देशों को अब उन प्रोत्साहन पैकेजों अथवा प्रोत्साहन उपायों को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहिए, जो वर्ष 2008 में मंदी के बाद किए गए थे। जी-20 का स्पष्ट रूप से मानना है कि इन प्रोत्साहन नीतियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

इसीलिए घोषणा में अत्यधिक आर्थिक सक्रियता और परिसम्पत्तियों के क्षेत्र में आए उछाल का उल्लेख किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि आप समन्वित बृहत आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं तो क्या आप इन प्रोत्साहन पैकेजों को वापस लेने के लिए नई समयसीमा का सुझाव दे रहे हैं?
सचिव (आर्थिक संबंध): वक्तव्य में इस 'बृहत आर्थिक नीतियों पर समन्वय' की बात कही गई है। चर्चाओं के बाद भी समन्वय किया जा सकता है। जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक आप नीतियों में समन्वय किस प्रकार स्थापित करेंगे। आपने कुछ चिन्ताओं का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त अन्य चिन्ताएं भी हैं।

विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों के कारण पण्यों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अन्य देशों का मानना है कि यदि वे कठोर मौद्रिक नीतियां बनाते हैं, तो पहले से ही प्रभावित निर्माण उद्योग पर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अत: इन मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है। परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि इन मुद्दों पर विशेष बल दिया जाए और सभी देशों के विचारों पर ध्यान देते हुए कोई तरीका निकाला जाए।

प्रश्न: महोदय, स्थानीय मुद्राओं के संबंध में क्या अंतर-मुद्रा स्वीकार्यता पर कोई अंतिम संकल्प सामने आया है?
सचिव (आर्थिक संबंध): इसकी पृष्ठभूमि में कहा जा सकता है कि ब्राजीलिया में आयोजित पिछली शिखर बैठक में इस संबंध में प्रबल भावनाएं विद्यमान थीं। आप जानते हैं कि उस समय मुद्राओं में भारी उतार-चढ़ाव था। इसके लिए प्रत्येक ब्रिक्स देश के बैंकों के बीच बैठक तथा व्यापार परियोजनाओं और ऋणों को बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर विचार किया जाना आवश्यक था। मैं समझता हूँ कि भारत के एक्जिम बैंक और अन्य बैंकों के बीच पिछले एक वर्ष के दौरान दो बैठकें हुई हैं और वे रूपरेखा करार के साथ सामने आए हैं। परन्तु वित्तीय क्षेत्र में इन सभी मुद्दों के लिए पर्याप्त स्पष्टता और विस्तृत कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है।

अत: उन्होंने आज इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे रूपरेखा करार कहा जा सकता है, में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय कानूनों के अध्यधीन है। अत: प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानून की अवहेलना होगी तथा ये राष्ट्रीय कानूनों के भीतर ही प्रत्येक देश में व्यापार, निवेश और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के तौर तरीके ढूंढ़ लेंगे।

प्रश्न: मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि स्थानीय मुद्रा से संबद्ध रूपरेखा करार की बात की जाए, तो क्या इससे ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार मुद्रा के रूप में डालर के महत्व में कमी नहीं आएगी? जहां तक विशेष निकासी अधिकारों (एसडीआर) का संबंध है, इसके बारे में भारत का क्या दृष्टिकोण है

क्योंकि यूआन को एसडीआर में शामिल किए जाने के संबंध में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है?

सचिव (आर्थिक संबंध): जहां तक डालर का संबंध है। मैंने किसी को यह कहते नहीं सुना है कि वे डालर के महत्व अथवा मूल्य को कम करना चाहते हैं। जैसाकि आप जानते हैं, डालर एक सुरक्षित मुद्रा है तथा ब्रिक्स के अधिकांश देशों, चाहे चीन हो या अन्य, के पास अभी अन्य मुद्राओं के साथ-साथ डालर का बड़ा भंडार मौजूद है। अत: अपनी-अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि हम डालर का अवमूल्यन करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज विश्व में क्या हो रहा है।

सुरक्षित मुद्रा डालर के कारण अमरीका के लिए आवश्यक हो गया है कि लम्बे समय तक उसका घाटा जारी रहे। हालांकि, अभी अमरीकी सरकार के भीतर इस बात का दबाव है कि इस घाटे पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए अथवा इसमें कमी लाई जानी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि आप सुरक्षित मुद्रा पर वास्तविक प्रतिबंध लगाए बिना इस घाटे को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। अत: अभी इस प्रकार की बातें हो रही हैं और नेपथ्य में लोग यह भी कह रहे हैं कि सुरक्षित मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसलिए हमारे पास एक अन्य सुरक्षित मुद्रा होनी चाहिए, जो उसके बदले नहीं, बल्कि उसका विकल्प होना चाहिए।

उसके बदले का अर्थ यह है कि उस मुद्रा के स्थान पर दूसरी मुद्रा का प्रचलन हो जबकि विकल्प का अर्थ यह है कि आपके पास कोई विकल्प हो, अर्थात आपके पास डालर हो सकता है, एसडीआर हो सकता है। परन्तु आज यह महसूस किया गया कि ये सभी जटिल मुद्दे हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए और इनके संबंध में व्यापक अनुशंसाए की जानी चाहिए क्योंकि प्रभावों का अध्ययन किए बिना इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आप कतिपय मुद्दे के प्रशामक के रूप में काम नहीं करना चाहते और आपको पता चलता है कि अन्य क्षेत्रों में कुछ कमी रह गई है। अत: वे एसडीआर का पता लगाने के संबंध में निर्णय ले रहे हैं।

काफी लम्बे समय से एसडीआर सुरक्षित मुद्रा रही है परन्तु इसका विस्तार नहीं किया जा सका है। इसलिए देखते हैं कि एसडीआर के साथ क्या किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या यूआन को शामिल किया जाना एक मुद्दा था?

सचिव (आर्थिक संबंध): यह कभी भी एक मुद्दा नहीं रहा। इस मुद्दे को उठाया भी नहीं गया।

प्रश्न: परन्तु भारत का क्या दृष्टिकोण है?

सचिव (आर्थिक संबंध): यह परिकल्पित है। चूंकि यह मुद्दा कभी नहीं उठा, इसलिए हमने इस मुद्दे का अध्ययन नहीं किया है।

प्रश्न: भारत का विशेष दृष्टिकोण क्या है ... भारत क्या चाहता है?

सचिव (आर्थिक संबंध): हम इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि एसडीआर के विस्तार के प्रभावों पर ब्रिक्स को ही एक व्यापक अध्ययन करना चाहिए। हम एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मुद्रा मानकर नहीं चल रहे हैं परन्तु अभी हम एसडीआर का विस्तार करने की सोच रहे हैं। आप एक या दो वर्ष के भीतर एसडीआर के मूल्य में दोगुने की वृद्धि नहीं कर सकते। इसके लिए पांच अथवा छ: वर्षों से अधिक की अवधि चाहिए।

परन्तु इसके प्रभाव क्या होंगे, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है, एसडीआर के संवर्धन एवं विस्तार में सभी आर्थिक ताकतों का योगदान किस प्रकार का होना चाहिए, इन बातों के संबंध में अध्ययन किया जाना चाहिए। सभी देश यही चाहते थे।

प्रश्न: मेरा प्रश्न आपके द्वारा संदर्भित परमाणु ऊर्जा तथा सुरक्षा से संदर्भित है। क्या इस संबंध में सामान्य स्वरूप का निर्णय लिया गया अथवा किसी विशेष कार्यक्रम अथवा ब्यौरों पर चर्चा हुई? क्या आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं?

सचिव (आर्थिक संबंध): विभिन्न देशों के नेता परमाणु ऊर्जा सहित अन्य सभी मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। इनमें विकासात्मक मुद्दे, ऊर्जा स्रोतों के मूल्य में उतार-चढ़ाव इत्यादि पर भी चर्चा हुई। इस संदर्भ में ही परमाणु ऊर्जा का प्रश्न उठा और महसूस हुआ कि परमाणु ऊर्जा निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तु सुरक्षा मानदण्डों को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। बैठक में कोई परमाणु विशेषज्ञ नहीं थे जिससे कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती। शायद आप यही पूछ रहे थे। सिर्फ सामान्य चर्चा हुई।

प्रश्न: ब्रिक्स में सुरक्षा परिषद के दो स्थाई सदस्य हैं और आपने पहली बार ब्रिक्स में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के मुद्दे को भी

शामिल किया है। इसके साथ ही घोषणा में तीन अस्थाई सदस्यों – भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदवारी का विशेष रूप से समर्थन नहीं किया गया है। क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा.परिषद में विस्तार के मुद्दे पर किसी प्रकार की चर्चा हुई है। विशेषकर इस संबंध में चीन का क्या नजरिया रहा?

सचिव (आर्थिक संबंध): मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह सर्वसम्मति पर आधारित वक्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र के दो स्थाई सदस्य – चीन और रूस इस वक्तव्य में व्यक्त सर्वसम्मति के भाग हैं। हमारे नजरिए से यह वक्तव्य संतोषजनक है।

प्रश्न: इसे तीन अन्य अस्थाई सदस्यों के लिए एक प्रकार के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।

सचिव (आर्थिक संबंध): यह समर्थन ही है। आपको इसका अध्ययन करना होगा। उन्होंने 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बृहत्तर भूमिका निभाने' की बात कही है। यदि आप पूर्व की लाइन को देखें, तो उन्होंने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कही है। आप स्वयं इससे अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

प्रश्न: महोदय, कार्य योजना में उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष के अन्त में चीन में सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्या इस सम्मेलन में आतंकवाद और साइबर अपराध से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया जाएगा क्योंकि इनका उल्लेख घोषणा में किया गया है?

सचिव (आर्थिक संबंध): यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है। आम तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुरक्षा से संबद्ध तात्कालिक विषयों पर बात करते हैं। साइबर अपराध तथा आतंकवाद जैसे मुद्दे को ब्रिक्स की कार्यसूची में रखा गया है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में यह मुद्दा उठेगा।

आज एक अन्य करार भी संपन्न किया गया है। यह करार ब्रिक्स व्यावसायिक फोकल केंद्रों पर व्यावसायिक मंच की बैठक में अलग से संपन्न किया गया। अत: यदि ब्रिक्स देशों में इसे अन्य देशों को भेजने के संबंध में कोई प्रश्न है, तो इसके समाधान हेतु ब्रिक्स देशों के पास एक फोकल केंद्र उपलब्ध होगा।

सरकारी प्रवक्ता: धन्यवाद।

(समाप्त)

सान्या (चीन)
14 अप्रैल, 2011

फलस्वरूप हमारे लिए एक ऐसे बाह्य परिवेश का निर्माण किए जाने की संभावनाएं हैं

जिससे हममें से प्रत्येक देश को लाभ हो और राष्ट्र निर्माण संबंधी हमारे कार्य संपूरित हों। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इसकी सर्वोत्तम बातें अभी सामने आनी हैं।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। हमारी अर्थव्यवस्था पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत मुक्त तथा विश्व के साथ बेहतर तरीके से सहयोजित है। हमारे वित्तीय एवं पूंजी बाजार सुदृढ़ तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को समाहित करने में सक्षम हैं।

हमने सामाजिक एवं अवसंरचना क्षेत्रों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई हैं जिनके लाभ मिलने आरंभ हो गए हैं। हमारे लोगों की सर्जनात्मक ऊर्जा निखर कर सामने आ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत से अधिक की दीर्घावधिक वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के मार्ग पर है।

हमारे मंत्रियों और अधिकारियों को इस विजन को व्यावहारिक आकार देने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए और साथ ही हमारे सहयोग के लाभ आम आदमी तक पहुंचने चाहिए।

आप सबका धन्यवाद।

सान्या (चीन)
14 अप्रैल, 2011

विशेष विमान में मीडिया के साथ प्रधान मंत्री जी की बातचीत का प्रतिलेखन

अप्रैल 16, 2011

प्रधान मंत्री: देवियो और सज्जनो, मेरी दो अत्यंत ही उपयोगी बैठकें हुई। पहली बैठक सान्या, चीन में आयोजित ब्रिक्स बैठक थी। आपने सान्या घोषणा तथा कार्ययोजना देखी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी आपको प्रतिदिन जानकारी देते आ रहे हैं। कल मैं कजाकिस्तान पहुंचा था। वहां के राष्ट्रपति के साथ मेरी मुलाकात हुई जिसके बाद मैंने वहां के प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की। हमने व्यापक राजनैतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। मिलजुलकर कार्य करने की हमारी इच्छा और हमारे सामरिक संबंधों को और सार्थक बनाने के संबंध में दोनों देशों में पूर्ण मतैक्य है।

मेरी यह यात्रा कजाकिस्तान की पहली यात्रा थी, जो वर्ष 2009 में भारत में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति नजरबायेव की यात्रा की अनुक्रिया स्वरूप थी। उस अवसर पर हमने अपने संबंधों को सामरिक भागीदारी के स्तर तक उन्नयित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी और मेरी यह यात्रा हमारी सामरिक भागीदारी को और भी ठोस एवं गहन बनाने के उन्हीं लक्ष्यों के अनुसरण में हुई।

प्रश्न: राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ हुई आपकी बैठक में क्या नत्थी वीजा मुद्दे को उठाया गया?
उत्तर: जी हां, हमने चर्चा की...। यह अत्यंत सौहार्दपूर्ण बैठक रही। हमने द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों एवं व्यापार असंतुलन पर चर्चा की। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जी-20 और विश्व व्यापार संगठन तथा सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की। रक्षा आदान-प्रदानों के संबंध में मेरी आशा है कि ये जारी रहेंगे। प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ जब भारत आए थे, तब सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन कायम रखने के लिए चीनी पक्ष की ओर से एक नए तंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह कार्य प्रगति पर है। मुझे आशा है कि भविष्य में ही कुछ ठोस परिणाम नजर आएंगे।

प्रश्न: क्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद निकट भविष्य में हमारा लक्ष्य सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट प्राप्त करना होगा?
उत्तर: इस बात पर निरन्तर बल दिया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पुराने युग के ढांचे से बाहर आकर समसामयिक युग की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के योग्य बनाना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि हम वहां पहुंच गए हैं; यह कार्य प्रगति पर है। परन्तु सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

प्रश्न: पण्यों, विशेषकर ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र की सामग्रियों के मूल्य में हो रहे असाधरण उतार-चढ़ाव से विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ब्रिक्स इस पर किस प्रकार नियंत्रण लगाएगा और इसमें भारत की क्या भूमिका होगी?
उत्तर: इस पर ब्रिक्स अकेले नियंत्रण नहीं कर सकता। इसके लिए सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने सहमति व्यक्त की है कि जी-20 ही वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त आर्थिक मंच है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति सरकोजी द्वारा इस वर्ष बाद में बुलाई जाने वाली जी-20 की बैठक में खाद्य एवं तेल के मूल्यों में हो रहे उतार-चढ़ाव को कार्यसूची में प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रश्न: मैं कजाकिस्तान के साथ व्यापक परमाणु सहयोग करार के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या भारत कजाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर बेचने की योजना बना रहा है?
उत्तर: मैं समझता हूँ कि कोई भी करार संपन्न करने के लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास प्राकृतिक यूरेनियम के साथ लघु परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करने की क्षमता है। इस विषय पर चर्चा भी हुई है, परन्तु कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न: पिछले कुछ महीनों में सभ्य समाज द्वारा आपकी काफी आलोचना की जाती रही है। क्या आप पिछले कुछ महीनों के दौरान निजी तौर पर परेशान रहे हैं?
उत्तर: मैं परेशान नहीं हूँ, परन्तु मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि बुरा समय आया है, तो अच्छा समय भी दूर नहीं है।

प्रश्न: पश्चिम बंगाल के चुनावों में वामपंथियों के पिछड़ने के क्या कारण हैं?
उत्तर: वामपंथियों के साथ क्या गलत हुआ, इसके संबंध में मैं निर्णय नहीं ले सकता। यह निर्णय जनता को लेना है और इस पर मैं अटकलें लगाना नहीं चाहूंगा।

प्रश्न: हम फुकुशीमा घटना के बाद भी परमाणु ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए इतने आश्वस्त क्यों हैं?

उत्तर: मैं समझता हूँ कि हम लोग जापान के काफी नजदीक हैं और वहां जो कुछ भी हुआ, उसके कारण शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी परमाणु ऊर्जा का व्यापक उपयोग करने के बारे में कतिपय आशंकाएं अवश्य उत्पन्न हो गई हैं। परन्तु जब ऊर्जा के भविष्य, कोयला की समस्या, अन्य हाइड्रोकार्बनों से संबद्ध समस्या तथा जलवायु परिवर्तन पर उनके प्रभावों पर तसल्ली से बातचीत होती है, तो इसका महत्व सामने आता है। मैं समझता हूँ कि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक अनिवार्य विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर दोबारा विचार करना चाहिए।

प्रश्न: ब्रिक्स में दिए गए वक्तव्य में आपने सत्ता का हस्तांतरण आम जनता की दिशा में होने की बात कही थी। यह बात वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में थी या घरेलू संदर्भ में?
उत्तर: मैं समझता हूँ कि दोनों ही बातें हैं। एक घरेलू...। मैं समझता हूँ कि हमें इस तथ्य को नोट करना होगा कि जनता की ताकत को स्वीकार किया जाना चाहिए और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में घटित भी हो रहा है। मैं आधिकारिक तौर पर यह कहना नहीं चाहूंगा कि पश्चिम एशिया में जो हुआ, उसके कारणों का उत्तर मेरे पास है।

प्रश्न: चीन में भारतीय फार्मा उत्पादों एवं आईटी के लिए बाजार पहुंच दिए जाने के संबंध में आपका क्या कहना है? डा. रेड्डी की अमरीकी एफडीए द्वारा अनुमोदित दवाओं को भी चीन में प्रवेश पाने में समस्या आ रही है। क्या चीन के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है?

प्रश्न: जी हां, मैंने व्यापार असंतुलन के प्रश्न को उठाया था। हम सामानों एवं सेवाओं का आयात करते हैं जिससे गंभीर व्यापार असंतुलनों को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने स्वीकार किया कि यह एक समस्या है।

मैंने विशेष रूप से दो क्षेत्रों का उल्लेख किया था; पहला भेषज उद्योग और दूसरा आईटी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके संबंध में हमारा मानना है कि चीन कुछ कर सकता है। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने वस्तुत: इन दो क्षेत्रों के संबंध में ऐसा कहा, परन्तु उन्होंने इतना अवश्य कहा कि व्यापार असंतुलनों की समस्या का समाधान करना चीन का भी दायित्व है।

प्रश्न: पाकिस्तान के संबंध में आपकी पहलकदमियों में पर्याप्त रुचि व्यक्त की जा रही है। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में आप किन पांच क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहेंगे?
उत्तर: मैं समझता हूँ कि पांच बहुत अधिक है। यदि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच दो देशों जैसा सामान्य संबंध विकसित करने में ही सफल हो जाऊं, तो यह पर्याप्त है।

प्रश्न: मन्त्रिमंडल में फेर-बदल कब किए जाने की संभावना है?
उत्तर: अभी कुछ समय लगेगा...।

प्रश्न: मैं ब्रिक्स में इंडोनेशिया को शामिल किए जाने की संभावना और अन्ना हजारे के संबंध में आपके नजरिए पर दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ?
उत्तर: जहां तक ब्रिक्स की सदस्यता में वृद्धि करने का संबंध है, ब्रिक्स बैठकों में इस विषय पर चर्चा नहीं हुई।

जहां तक अन्ना हजारे जी का संबंध है, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनका सम्मान करता हूँ जिन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी अच्छे कार्य किए हैं और इसीलिए पूरा देश उनका सम्मान करता है।

सान्या घोषणा

अप्रैल 14, 2011

सान्या घोषणा

(ब्रिक्स नेताओं की बैठक सान्या, हैनान, चीन, अप्रैल, 2011)

1. हम, ब्राजील संघीय गणराज्य, रूसी परिसंघ, भारत गणराज्य, चीन लोक गणराज्य तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष 14 अप्रैल को ब्रिक्स नेताओं की बैठक के लिए सान्या, हैनान, चीन में मिले।

2. ब्राजील, रूस, भारत और चीन के राज्याध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों ने ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका का स्वागत किया। वे इस मंच में दक्षिण अफ्रीका के साथ संवाद और सहयोग को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं।

3. शांति, सुरक्षा, विकास तथा सहयोग के व्यापक लक्ष्य और इनके लिए साझी इच्छा ने ब्रिक्स देशों को साथ लाया है, विभिन्न महाद्वीपों में जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 3 बिलियन है। ब्रिक्स का उद्देश्य मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना तथा और भी न्यायसंगत एवं उपयुक्त विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है।

4. 21वीं सदी में शांति, सामंजस्य, सहयोग तथा वैज्ञानिक विकास का बोलबाला होना चाहिए। "व्यापक विजन, साझी समृद्धि" विषयवस्तु के अंतर्गत हमने स्पष्ट और गहन चर्चा की तथा ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को संवर्धित करने और साझे हित के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय बढ़ाने के संबंध में व्यापक सहमति व्यक्त की।

5. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रिक्स तथा अन्य उभरते देशों ने विश्व शांति, सुरक्षा तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने, वैश्विक आर्थिक प्रगति में योगदान देने, बहुपक्षवाद का संवर्धन करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बेहतर लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6. आर्थिक, वित्तीय तथा विकासशील क्षेत्रों में ब्रिक्स संवाद और सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। हम साझे विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी को सुदृढ़ बनाने तथा क्रमिक एवं प्रगतिशील तरीके से ब्रिक्स देशों के बीच इस प्रकार का सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं,

   जिसमें एकत्व, एकजुटता तथा पारस्परिक सहायता के सिद्धांत प्रतिबिंबित हों। हम इस बात को दोहराते हैं कि इस प्रकार का सहयोग समावेशी है तथा इसमें हितों का टकराव नहीं है। हम गैर ब्रिक देशों, खासकर उदीयमान एवं विकासशील देशों तथा प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी कार्यकलाप और सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं।

7. हम इस विचार से सहमत हैं कि विश्व में दूरगामी, जटिल एवं गहन बदलाव हो रहे हैं और बहुध्रुवीयता, आर्थिक भूमंडलीकरण एवं अंतर्निर्भरता निरन्तर बढ़ रही है। अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष वैश्विक पर्यावरणीय एवं अन्य उभरती चुनौतियां विद्यमान हैं।

   इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साझे विकास हेतु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। सार्वभौमिक रूप से मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर तथा सामूहिक नीति निर्णय की भावनाओं के अनुरूप वैश्विक आर्थिक शासन को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उदीयमान एवं विकासशील देशों की आवाज को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

8. हम बहुपक्षीय राजनय के प्रति अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका हो।

   इस संबंध में हम संयुक्त राष्ट्र और इसके सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार लाए जाने की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं ताकि इसे और भी प्रभावी, कार्यकुशल एवं प्रातिनिधिक बनाया जा सके और यह समसामयिक चुनौतियों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सके। चीन और रूस इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा वे संयुक्त राष्ट्र में बृहत्तर भूमिका निभाने की उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं तथा समर्थन करते हैं।

9. हम इस बात को समझते हैं कि वर्ष 2011 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्रिक्स के सभी पांचों देशों की समवर्ती उपस्थिति से शांति और सुरक्षा से संबद्ध मुद्दों पर मिलकर कार्य करने, बहुपक्षीय नजरिए को सुदृढ़ बनाने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विचारार्थ विभिन्न मुद्दों को रखने के लिए भावी समन्वय को सुविधाजनक बनाने का बहुमूल्य अवसर उपलब्ध हुआ है। हम मध्य-पूर्व, उत्तरी

अफ्रीका तथा पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में व्याप्त उथल-पुथल से गंभीर रूप से चिन्तित हैं और चाहते हैं कि इन घटनाक्रमों से प्रभावित देशों में शांति, स्थायित्व और समृद्धि आए तथा वहां के लोगों की वैध आकांक्षाओं के अनुरूप विश्व में यथोचित दर्जा और सम्मान प्राप्त हो।

हम इस सिद्धांत से सहमत हैं कि बल प्रयोग से बचना चाहिए। हमारा मानना है कि प्रत्येक देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता तथा क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान किया जाना चाहिए।

10. हम लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना सहयोग जारी रखना चाहते हैं। हमारा यह भी मानना है कि सभी पक्षों को शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए मतभेदों का सम्मान करना चाहिए जिसमें संयुक्त राष्ट्र तथा क्षेत्रीय संगठनों को उपयुक्त भूमिका निभानी चाहिए। हम लीबिया पर अफ्रीकी संघ की उच्च-स्तरीय पैनल पहल के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त करते हैं।

11. हम आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी भर्त्सना करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता। हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रूपरेखा के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों तथा मानदण्डों के अनुरूप आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने में केंद्रीय भूमिका है। इस संदर्भ में हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय पर चल रही वार्ताओं का शीघ्रातिशीघ्र समापन किए जाने और सदस्य देशों द्वारा इसे अंगीकार किए जाने का आह्वान करते हैं।

हम इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने में अपने सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सहयोग करने की भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम साइबर अपराध का मुकाबला करने पर विशेष ध्यान देंगे।

12. हम इस बात को नोट करते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था शनैः-शनैः वित्तीय संकट से उबर रही है। परन्तु अभी भी इसमें अनिश्चितताएं मौजूद हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को बृहत आर्थिक नीतियों का समन्वय कार्य जारी रखना चाहिए और उन्हें ठोस, सतत एवं संतुलित विकास प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

13. हम यह आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ब्रिक्स देशों में आर्थिक, वित्तीय, एवं व्यापारिक मामलों में संवर्धित सहयोग की सहायता से ठोस, सतत और संतुलित विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके फलस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था के दीर्घावधिक, ठोस एवं संतुलित विकास में योगदान मिलेगा।

14. हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रधान मंच की हैसियत से वैश्विक आर्थिक शासन में बृहत्तर भूमिका निभाने में जी-20 देशों का समर्थन करते हैं। हम आशा करते हैं कि वर्ष 2011 में केन्स में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से अर्थव्यवस्था, वित्त, व्यापार तथा विकास जैसे क्षेत्रों में नए और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाने तथा ठोस, सतत एवं संतुलित विकास प्राप्त करने की दिशा में जी-20 सदस्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं तथा विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति और विकास चाहते हैं। रूस वर्ष 2013 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव करता है। ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका रूस के इस प्रस्ताव का स्वागत और सराहना करते हैं।

15. हम पूर्व के जी-20 शिखर सम्मेलनों में हुई सहमति के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार संबंधी लक्ष्यों को तत्काल प्राप्त करने का आह्वान करते हैं

और इस बात को दोहराते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शासन संरचना से विश्व अर्थव्यवस्था में आए बदलाव परलक्षित होने चाहिए तथा उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व में वृद्धि होनी चाहिए।

16. इस बात को स्वीकार करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणालियों की अपर्याप्तता एवं कमियों का खुलासा हुआ है, हम अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार का समर्थन करते हैं जिसके अंतर्गत व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भण्डार प्रणाली का प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप स्थायित्व एवं निश्चितता आए।

हम एसडीआर की विभिन्न मुद्राओं के पुनर्निर्धारण सहित वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में एसडीआर की भूमिका से संबंधित जारी चर्चा का स्वागत करते हैं। हम फिलहाल उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष अधिक मात्रा में सीमापार पूंजी प्रवाह से उत्पन्न जोखिमों पर और ध्यान देने का आह्वान करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियामक पर्यवेक्षण एवं सुधारों, नीतिगत समन्वय, वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों एवं बैंकिंग प्रणालियों का ठोस विकास किए जाने का आह्वान करते हैं।

17. पण्यों, विशेषकर खाद्य एवं ऊर्जा के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार की जारी प्रक्रिया के समक्ष

नए खतरे उत्पन्न हो गए हैं। हम वित्तीय बाजारों के विनियमन की प्रक्रिया में विकृति में कमी लाने के जारिए स्थायित्व तथा भौतिक बाजारों का ठोस विकास सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग को और सुदृढ़ किए जाने का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने, आपूर्ति और मांग में संतुलन स्थापित करने हेतु उत्पाद-उपभोक्ता संवाद को बढ़ावा देने तथा वित्त और प्रौद्योगिकियों के जरिए विकासशील देशों की सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए।

18. पण्यों के लिए डेरिवेटिव्स बाजार का विनियमन भी इसी के अनुरूप सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि बाजारों को अस्थिर बनाने में सक्षम कार्यकलापों की रोकथाम की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके। हमें अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर मांग और आपूर्ति के संबंध में विश्वसनीय एवं सामयिक सूचना की कमी से संबंधित समस्या का भी समाधान करना चाहिए। ब्रिक्स देश खाद्य सुरक्षा के संबंध में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देंगे।

19. हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास और उपयोग का समर्थन करते हैं। हम जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के एक साधन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं।

हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के क्षेत्रों में सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान किए जाने के महत्व के प्रति आश्वस्त हैं।

20. परमाणु ऊर्जा ब्रिक्स देशों के समग्र भावी ऊर्जा संसाधनों में एक महत्वपूर्ण तत्व बना रहेगा। शांति पूर्ण प्रयोजनों के लिए सुरक्षित परमाणु ऊर्जा के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि यह कार्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की डिजाइन, निर्माण और प्रचालन से संबंधित प्रासंगिक सुरक्षा मानकों एवं अनिवार्यताओं का कड़ाई से पालन किए जाने की शर्त के अध्यधीन किया जाना चाहिए।

21. विकासशील देशों के सतत विकास की प्रक्रिया में गति लाना विश्व के समक्ष विद्यमान अनेक चुनौतियों में से एक है। हमारा मानना है कि गरीबी की समस्या का समाधान करना तथा संहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विकास और प्रगति महत्वपूर्ण कारक हैं। घोर गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन करना मानव जाति की नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अनिवार्यता तथा विश्व, खासकर अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों के अल्प विकसित देशों के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौती है।

22. हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सितंबर, 2010 में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय पूर्ण बैठक में अंगीकृत परिणाम दस्तावेजों का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन करने तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने का आहवान करते हैं।

23. जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिससे विभिन्न समुदायों और देशों की आजीविका के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन, ब्राजील, रूस और भारत दक्षिण अफ्रीका द्वारा यूएनएफसीसीसी, कोप-17/सीएमपी-7 की मेजबानी करने की सराहना और समर्थन करते हैं।

हम कानकुन करारों का समर्थन करते हैं और बाली रोडमैप के अधिदेशों का अनुप्रयोग करते हुए तथा समान एवं साझे परन्तु भिन्न दायित्वों के सिद्धांत के अनुरूप डरबन सम्मेलन में इन वार्ताओं को सफल निष्कर्ष तक ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। हम अपने आपको व्यापक, संतुलित एवं बाध्यकारी परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध करते हैं जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा करार और इसके क्योतो प्रोतोकोल के कार्यान्वयन को बल मिल सके। ब्रिक्स देश डरबन सम्मेलन पर किए जा रहे सहयोग को गहन बनाएंगे।

हम अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को जलवायु परिवर्तन की समस्या के साथ अनुकूलन स्थापित करने में व्यावहारिक सहयोग को भी बढ़ावा देंगे।

24. पर्यावरण तथा विकास से संबद्ध रियो घोषणा, कार्यसूची-11, जोहांसबर्ग कार्यान्वयन योजना तथा बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधियों में उल्लिखित सतत विकास आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण वाहन होना चाहिए। चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका सतत विकास पर वर्ष 2012 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए ब्राजील की सराहना करते हैं और नई राजनीतिक प्रतिबद्धताएं प्राप्त करने तथा सतत विकास की रूपरेखा के तहत आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक एवं व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए ब्राजील के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैव विविधता से संबद्ध अभिसमय के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत की प्रशंसा करते हैं। ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका पक्षकारों के सम्मेलन के छठे सत्र का भी समर्थन करते हैं, जो अक्तूबर, 2012 में आयोजित होने वाले जैव सुरक्षा से संबद्ध कार्टाजेना प्रोतोकोल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करेगा।

25. हम सामाजिक सुरक्षा, सम्मानीय कार्य, महिला-पुरुष समानता, युवा तथा एचआईवी/एड्स सहित लोक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं का मुकाबला करने में सहयोग और संवाद को सुदृढ़ बनाने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करते हैं।

26. हम अफ्रीका में अवसंरचना विकास तथा अफ्रीका के लिए नई भागीदारी (नेपाड) की रूपरेखा के अंतर्गत इसका औद्योगीकरण किए जाने का समर्थन करते हैं।

27. हमने अपने देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक एवं निवेश सहयोग को और विस्तारित एवं गहन बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है। हम सभी देशों को संरक्षणवादी उपायों से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हम 13 अप्रैल, 2011 को सान्या में आयोजित ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत करते हैं। ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों तथा अभी तक हुई प्रगति एवं विकास अधिदेशों के अनुसरण में एक ठोस, मुक्त तथा नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अन्य देशों से भी ऐसा ही करने का आह्वान करते हैं। ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका रूस को विश्व व्यापार संगठन में शीघ्रातिशीघ्र शामिल करने का पूर्ण समर्थन करते हैं।

28. हमने विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिक्स प्रक्रिया के अंतर्गत किए जा रहे सहयोग की समीक्षा की और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार का सहयोग पारस्परिक रूप से लाभकारी रहा है तथा अभी भी ब्रिक्स देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। हम ब्रिक्स सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा इसकी कार्यसूची का और विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने राजनैतिक विजन को ठोस कार्रवाइयों में अनूदित करने के लिए कृतसंकल्प हैं, जो भावी सहयोग की आधारशिला के रूप में कार्य करेगा। हम नेताओं की अगली बैठक के दौरान कार्ययोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे।

29. हम अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग सहित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना चाहते हैं। हम यूरी गागरिन के अंतरिक्ष में पहुंचने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूस की जनता और सरकार को मुबारकबाद देते हैं जिसके फलस्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ था।

30. हम वर्ष 2011 में युनिवर्सिएड इन शेंजेन, 2013 में युनिवर्सिएड इन कजान, 2014 में नान्जिंग में युवा ओलम्पिक खेलों तथा 2014 में सोची में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलम्पिक एवं पराओलम्पिक खेलों, ब्राजील में 2014 में आयोजित होने वाले फीफा विश्वकप, रियो डि जनेरियो में 2016 में होने वाले ओलम्पिक एवं पराओलम्पिक खेलों तथा 2018 में रूस में आयोजित होने वाले फीफा विश्वकप की सफलता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हैं।

31. हम जापान में आई त्रासदी के कारण वहां हुई दुखद मौतों पर जापान के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम इन त्रासदियों के परिणामों का मुकाबला करने में जापान को व्यावहारिक समर्थन देना जारी रखेंगे।

32. ब्राजील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के नेता ब्रिक्स नेताओं की बैठक की मेजबानी करने के लिए चीन तथा हैनान प्रान्त की सरकार और सान्या नगरपालिका सरकार तथा वहां की जनता की सराहना करते हैं।

33. ब्राजील, रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2012 में ब्रिक्स नेताओं की बैठक का आयोजन करन के लिए भारत का धन्यवाद देते हैं तथा अपने पूर्ण समर्थन का प्रस्ताव करते हैं।

कार्ययोजना

हम ब्रिक्स सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा अपने लोगों के लाभार्थ ब्रिक्स सहयोग की आधारशिला रखने वाली एक कार्ययोजना का निर्माण करते हैं।

I. मौजूदा सहयोग कार्यक्रमों का संवर्धन

1. वर्ष 2011 के उत्तरार्ध में चीन में सुरक्षा मुद्दों पर उच्च प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक का आयोजन।
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र के दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन।
3. निर्धारित समय में शेरपाओं/सॉस-शेरपाओं की बैठक का आयोजन।
4. न्यूयार्क तथा जिनेवा में अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक तरीके से आवधिक मुलाकात।
5. जी-20 रूपरेखा के अंतर्गत तथा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों के दौरान वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की मुलाकात।

नए खतरे उत्पन्न हो गए हैं। हम वित्तीय बाजारों के विनियमन की प्रक्रिया में विकृति में कमी लाने के जारिए स्थायित्व तथा भौतिक बाजारों का ठोस विकास सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग को और सुदृढ़ किए जाने का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने, आपूर्ति और मांग में संतुलन स्थापित करने हेतु उत्पाद-उपभोक्ता संवाद को बढ़ावा देने तथा वित्त और प्रौद्योगिकियों के जरिए विकासशील देशों की सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए।

18. पण्यों के लिए डेरिवेटिव्स बाजार का विनियमन भी इसी के अनुरूप सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि बाजारों को अस्थिर बनाने में सक्षम कार्यकलापों की रोकथाम की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके। हमें अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर मांग और आपूर्ति के संबंध में विश्वसनीय एवं सामयिक सूचना की कमी से संबंधित समस्या का भी समाधान करना चाहिए। ब्रिक्स देश खाद्य सुरक्षा के संबंध में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देंगे।

19. हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास और उपयोग का समर्थन करते हैं। हम जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के एक साधन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं।

हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के क्षेत्रों में सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान किए जाने के महत्व के प्रति आश्वस्त हैं।

20. परमाणु ऊर्जा ब्रिक्स देशों के समग्र भावी ऊर्जा संसाधनों में एक महत्वपूर्ण तत्व बना रहेगा। शांति पूर्ण प्रयोजनों के लिए सुरक्षित परमाणु ऊर्जा के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि यह कार्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की डिजाइन, निर्माण और प्रचालन से संबंधित प्रासंगिक सुरक्षा मानकों एवं अनिवार्यताओं का कड़ाई से पालन किए जाने की शर्त के अध्यधीन किया जाना चाहिए।

21. विकासशील देशों के सतत विकास की प्रक्रिया में गति लाना विश्व के समक्ष विद्यमान अनेक चुनौतियों में से एक है। हमारा मानना है कि गरीबी की समस्या का समाधान करना तथा संहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विकास और प्रगति महत्वपूर्ण कारक हैं। घोर गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन करना मानव जाति की नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अनिवार्यता तथा विश्व, खासकर अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों के अल्प विकसित देशों के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौती है।

22. हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सितंबर, 2010 में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय पूर्ण बैठक में अंगीकृत परिणाम दस्तावेजों का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन करने तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने का आहवान करते हैं।

23. जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिससे विभिन्न समुदायों और देशों की आजीविका के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन, ब्राजील, रूस और भारत दक्षिण अफ्रीका द्वारा यूएनएफसीसीसी, कोप-17/सीएमपी-7 की मेजबानी करने की सराहना और समर्थन करते हैं।

हम कानकुन करारों का समर्थन करते हैं और बाली रोडमैप के अधिदेशों का अनुप्रयोग करते हुए तथा समान एवं साझे परन्तु भिन्न दायित्वों के सिद्धांत के अनुरूप डरबन सम्मेलन में इन वार्ताओं को सफल निष्कर्ष तक ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। हम अपने आपको व्यापक, संतुलित एवं बाध्यकारी परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध करते हैं जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा करार और इसके क्योतो प्रोतोकोल के कार्यान्वयन को बल मिल सके। ब्रिक्स देश डरबन सम्मेलन पर किए जा रहे सहयोग को गहन बनाएंगे।

हम अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को जलवायु परिवर्तन की समस्या के साथ अनुकूलन स्थापित करने में व्यावहारिक सहयोग को भी बढ़ावा देंगे।

24. पर्यावरण तथा विकास से संबद्ध रियो घोषणा, कार्यसूची-11, जोहांसबर्ग कार्यान्वयन योजना तथा बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधियों में उल्लिखित सतत विकास आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण वाहन होना चाहिए। चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका सतत विकास पर वर्ष 2012 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए ब्राजील की सराहना करते हैं और नई राजनीतिक प्रतिबद्धताएं प्राप्त करने तथा सतत विकास की रूपरेखा के तहत आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक एवं व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए ब्राजील के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैव विविधता से संबद्ध अभिसमय के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत की प्रशंसा करते हैं। ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका पक्षकारों के सम्मेलन के छठे सत्र का भी समर्थन करते हैं, जो अक्तूबर, 2012 में आयोजित होने वाले जैव सुरक्षा से संबद्ध कार्टाजेना प्रोतोकोल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करेगा।

25. हम सामाजिक सुरक्षा, सम्मानीय कार्य, महिला-पुरुष समानता, युवा तथा एचआईवी/एड्स सहित लोक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं का मुकाबला करने में सहयोग और संवाद को सुदृढ़ बनाने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करते हैं।

26. हम अफ्रीका में अवसंरचना विकास तथा अफ्रीका के लिए नई भागीदारी (नेपाड) की रूपरेखा के अंतर्गत इसका औद्योगीकरण किए जाने का समर्थन करते हैं।

27. हमने अपने देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक एवं निवेश सहयोग को और विस्तारित एवं गहन बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है। हम सभी देशों को संरक्षणवादी उपायों से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हम 13 अप्रैल, 2011 को सान्या में आयोजित ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत करते हैं। ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों तथा अभी तक हुई प्रगति एवं विकास अधिदेशों के अनुसरण में एक ठोस, मुक्त तथा नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अन्य देशों से भी ऐसा ही करने का आह्वान करते हैं। ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका रूस को विश्व व्यापार संगठन में शीघ्रातिशीघ्र शामिल करने का पूर्ण समर्थन करते हैं।

28. हमने विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिक्स प्रक्रिया के अंतर्गत किए जा रहे सहयोग की समीक्षा की और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार का सहयोग पारस्परिक रूप से लाभकारी रहा है तथा अभी भी ब्रिक्स देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। हम ब्रिक्स सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा इसकी कार्यसूची का और विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने राजनैतिक विजन को ठोस कार्रवाइयों में अनूदित करने के लिए कृतसंकल्प हैं, जो भावी सहयोग की आधारशिला के रूप में कार्य करेगा। हम नेताओं की अगली बैठक के दौरान कार्ययोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे।

29. हम अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग सहित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना चाहते हैं। हम यूरी गागरिन के अंतरिक्ष में पहुंचने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूस की जनता और सरकार को मुबारकबाद देते हैं जिसके फलस्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ था।

30. हम वर्ष 2011 में युनिवर्सिएड इन शेंजेन, 2013 में युनिवर्सिएड इन कजान, 2014 में नान्जिंग में युवा ओलम्पिक खेलों तथा 2014 में सोची में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलम्पिक एवं पराओलम्पिक खेलों, ब्राजील में 2014 में आयोजित होने वाले फीफा विश्वकप, रियो डि जनेरियो में 2016 में होने वाले ओलम्पिक एवं पराओलम्पिक खेलों तथा 2018 में रूस में आयोजित होने वाले फीफा विश्वकप की सफलता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हैं।

31. हम जापान में आई त्रासदी के कारण वहां हुई दुखद मौतों पर जापान के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम इन त्रासदियों के परिणामों का मुकाबला करने में जापान को व्यावहारिक समर्थन देना जारी रखेंगे।

32. ब्राजील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के नेता ब्रिक्स नेताओं की बैठक की मेजबानी करने के लिए चीन तथा हैनान प्रान्त की सरकार और सान्या नगरपालिका सरकार तथा वहां की जनता की सराहना करते हैं।

33. ब्राजील, रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2012 में ब्रिक्स नेताओं की बैठक का आयोजन करन के लिए भारत का धन्यवाद देते हैं तथा अपने पूर्ण समर्थन का प्रस्ताव करते हैं।

कार्ययोजना

हम ब्रिक्स सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा अपने लोगों के लाभार्थ ब्रिक्स सहयोग की आधारशिला रखने वाली एक कार्ययोजना का निर्माण करते हैं।

I. मौजूदा सहयोग कार्यक्रमों का संवर्धन

1. वर्ष 2011 के उत्तरार्ध में चीन में सुरक्षा मुद्दों पर उच्च प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक का आयोजन।
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र के दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन।
3. निर्धारित समय में शेरपाओं/सॉस-शेरपाओं की बैठक का आयोजन।
4. न्यूयार्क तथा जिनेवा में अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक तरीके से आवधिक मुलाकात।
5. जी-20 रूपरेखा के अंतर्गत तथा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों के दौरान वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की मुलाकात।

6. वर्ष, 2011 में चीन में कृषि विशेषज्ञ कार्यकारी दल, कृषि मंत्रियों की द्वितीय बैठक का आयोजन और ब्रिक्स कृषि सूचना प्रणाली की स्थापना एवं खाद्य सुरक्षा पर सेमिनार आयोजित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग।
7. सितंबर, 2011 में चीन में राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थानों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन।
8. सितंबर 2011 में चीन में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन तथा एकाधिकार रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग से संबद्ध करार पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना का पता लगाना।
9. ब्रिक्स विचारक संगोष्ठियों का आयोजन जारी रखना तथा सभी ब्रिक्स देशों के अनुसंधान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने पर विचार करना।
10. ब्रिक्स नेताओं की अगली बैठक से पूर्व एक अन्य व्यावसायिक मंच का आयोजन करना।
11. ब्रिक्स विकास बैंकों के बीच वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना।
12. ब्रिक देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच मंशा प्रोतोकोल को कार्यान्वित करना।
13. ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन का लोकार्पण किया जाना।
14. सहकारी संस्थाओं की बैठक का आयोजन जारी रखना।

II. सहयोग के नए क्षेत्र

1. वर्ष 2011 में चीन में प्रथम ब्रिक्स मैत्री नगर एवं स्थानीय सरकार सहयोग मंच का आयोजन।
2. वर्ष 2011 में चीन में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन।
3. आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर संयुक्त अनुसंधान में शामिल होना।
4. ब्रिक्स देशों में यथाउपयुक्त पुस्तकों की सूची को अद्यतन बनाना।

III. नए प्रस्तावों का पता लगाना

1. ब्रिक्स नेताओं के बीच हुई सहति के अनुसार सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग।
2. खेलों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।
3. हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग की व्यवहार्यता का पता लगाना।
4. ब्रिक्स फार्मेट के अंतर्गत भेषज उद्योग के क्षेत्र में सहयोग सहित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक एवं नवाचार क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन।
5. यूनेस्कों में ब्रिक्स-यूनेस्को समूह की स्थापना करना जिसका उद्देश्य इस संगठन के अधिदेशों के अंतर्गत साझी रणनीतियों का विकास करना होगा।